प्रधान महालेखाकार का कार्यालय (लेखा एवं हक),
आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद - 500 004.

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E),
ANDHRA PRADESH HYDERABAD - 500 004.

सत्यमेव जयते

PM/VI/2011-12/OG-GO/

दिनांक / Date :

To

The Director of Treasuries and Accounts
4th floor Rajaram Building
Tilak Road Abids
Hyderabad

Sir,

Sub:- Forwarding of Grant of DR at 65% w e f 01.01.2012 to Bihar pensioners

Ref:- 1. Bihar Govt. Resolutions No 3A-3-DR-01/2009-4737
dt 02.05.2012.

***

I am herewith enclosing a Special Seal Authority issued by the Accountant General (A&E), Bihar, Patna in the reference cited. The same is being placed in this office official website (www.ag.ap.nic.in). You are requested to direct all the District Treasury Officers to download the orders and take necessary action at the earliest to minimize hardship to the pensioners.

Yours faithfully,

Sr Accounts Officer

Copy To
Joint Director, Pension Payment Office,
Jambagh, M J Road
Nampally,
Hyderabad for information and necessary action.

Sr Accounts Officer

दू०भा०/ Phone : 040-23236810-19, ई-मेल / E-mail : agaeAndhrapradesh@cag.gov.in
Web Site : http://ag.ap.nic.in फैक्स / Fax : 040-23232441 तार / Grams : Accounts

spl seal
fm

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E)-II, BIHAR, PATNA

No. Pen-IX-Spl. seal Authority No.- 166 *Dated-* 15/5/12

262785757
18/5

To,

The Accountant General (A&E)
Andhra Pradesh Hyderabad

21 MAY 2012
A.P. HYDERABAD-500 004

Sub:- **Grant of Deanreness relief to the State Government Pensioners.** @ 58% के स्थान पर 65% w.e.f dt.01-01-2012

Bihar Govt. Resolution No. 3 प-3-भत्ता-01/2009-4737 वि०

Date 02-05-2012

Sir,

I am to forward herewith Hindi/English versions of copies of Govt. of Bihar, Finance Deptt. Resolution No. 4737 वि Dated 2.5.2012 for your needful action.

You are requested to circulate this order to all Treasuries/Sub-Treasuries and Public Sector Banks in your Jurisdiction for necessary action.

Please acknowledge the receipt of the same with enclosure.

208402
23/5/12

Yours faithfully,

Sr. Accounts Officer, Bihar, Patna

Encl : Copies of Bihar Govt.
Resolution No.-
Dated :

Memo No. Pen-IX-Spl.-Bihar Date-

Copy forwarded for information and necessary action to :

1. Joint Secretary to the Govt. of Bihar, Finance Deptt., Patna.
2. General Secretary, Bihar Pensioner Samaj, Vindya Vasini Sadan, North Sri Krishna Puri, Patna-800 013.
3. Accounts Officer I.T.A./ Pension-1

Sr. Accounts Officer, Bihar, Patna

संख्या–3ए–3–भत्ता–01/2009 – **4737 वि0**, दिनांक– **02.05.2012**

Pay-01 (Gen) DJ- 42(12-13)

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

विषय :–राज्य सरकार के पेंशन भोगियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों को दिनांक–01.01.2012 के प्रभाव से 58 प्रतिशत के स्थान पर 65 प्रतिशत महंगाई राहत की स्वीकृति ।

वित्त विभाग के संकल्प सं0–9634वि0 दिनांक 18.10.2011 के द्वारा राज्य सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक– 01.07.2011 के प्रभाव से 58 प्रतिशत की दर से मंहगाई राहत की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसका भुगतान माह जुलाई 2011 से पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के साथ किया जा रहा है ।

2. भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापांक–42/13/2012– P&PW(G) दिनांक–04.04.2012 के द्वारा केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक–01.01.2012 के प्रभाव से महंगाई राहत की दर 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत किया गया है । तदनुसार राज्य सरकार के पेंशनधारियों को देय मंहगाई राहत की दरों में वृद्धि का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन था ।

3. राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया है कि :–

(i) राज्य सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक –01.01.2012 के प्रभाव से पुनरीक्षित पेंशन में 58 प्रतिशत के स्थान पर 65 प्रतिशत की दर से मंहगाई राहत का भुगतान किया जाय ।

(ii) मंहगाई राहत का भुगतान मूल पेंशन के आधार पर परिगणित कर किया जाएगा ।

(iii) मंहगाई राहत की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे को अगले रूपये में पूर्णांकित कर दिया जाएगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जाएगा ।

(iv) उपर्युक्त मंहगाई राहत की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा ।

(v) उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/ बिहार विधान परिषद् के पेंशनधारियों को पुनरीक्षित पेंशन में उक्त मंहगाई राहत का भुगतान मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/ सभापति, बिहार विधान परिषद की स्वीकृति से देय होगा ।

4. पेंशन पर मंहगाई राहत का भुगतान करते समय पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन पानेवाले पेंशनरों के संबंध में वित्त विभागीय परिपत्र सं0– 3556 दिनांक–09.05.1991 में समादिष्ट निर्देशों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य है जिसमें पुनर्नियोजित पेंशनरों को मंहगाई राहत नहीं देने का प्रावधान किया गया है। उक्त स्थिति को छोड़कर मंहगाई राहत शेष असैनिक पेंशनभोगियों को देय होगी जिन्हें क्षतिपूर्ति पेंशन, वार्धक्य पेंशन, सेवा निवृति एवं असमर्थता पेंशन प्राप्त है। औपबंधिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं असाधारण पेंशन पानेवाले को भी यह राहत देय होगी।

5. पेंशनभोगियों को इस मंहगाई राहत के भुगतान में विलम्ब के परिहार हेतु बिहार कोषागार संहिता 2011 के नियम 206 के अन्तर्गत बिना महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार के ही राहत के भुगतान का आदेश राज्य के अन्दर पेंशन लेने वालो के मामले में दिया जाता है । साथ ही कोषागार/ उप कोषागार पदाधिकारियों को यह भी आदेश दिया जाता है कि बैंकों के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने वाले पेशनभोगियों को त्वरित भुगतान कराने के लिए वे सभी सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकृत बैंको को इसकी प्रतियॉ भेज दें । बिहार राज्य के बाहर मंहगाई राहत की निकासी महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार पत्र पर ही की जा सकती है । इसके लिए महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि राज्य के बाहर पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों से संबंधित महालेखाकारों को अविलम्ब पेंशन राहत भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाय तथा इसकी सूचना वित्त विभाग को भी दी जाय ।

6. दिनांक-01.01.2012 के प्रभाव से स्वीकृत मंहगाई राहत का भुगतान करते समय पूर्ववर्त्ती कंडिकाओं में निहित प्रावधानों का दृढ़ता से पालन किया जाय तथा इस मद में भुगतान की जाने वाली राशि की शुद्धता की जांच हर हाल में प्रत्येक भुगतान के समय कर ली जाय । ऐसा करना भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेदारी होगी ।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक मे सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(अरूण कुमार सिंह)

संयुक्त सचिव, वित्त विभाग।

ज्ञापांक - 3ए-3-भत्ता-01/2009 - **4737 वि0**, पटना, दिनांक :- **02.05.2012**

प्रतिलिपि- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

Arun kumar 2-5-12

(अरूण कुमार सिंह)

संयुक्त सचिव, वित्त विभाग।